	महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन (मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सर्वकार) **MAHARSHI SANDIPANI RASHTRIYA VEDAVIDYA PRATISHTHAN** **(Under M/o HRD, Govt of India)** Vedavidya Marg, Chintaman Ganesh, Post. Jawasia, Ujjain-456006 (M.P.)

MSRVVP/ Corona Virus/Orders/2020 **Date; 22-03-2020**

OFFICE ORDER

In compliance with the Order no.1060/ADM/Reader-1/2020 issued under the authority of the District Collector and Magistrate and Communicated by Additional District Magistrate, it is hereby ordered that all persons connected with the affairs of the Pratishthan must adhere to the said Order. Copy of the order is enclosed with this for compliance.

Further, in compliance with the Lock-down of Ujjain district upto 25-3-2020, the Pratishthan's Campus stands closed for any public access. No person from outside of the Campus can enter; nor the campus residents can move out, except for emergency requirements like milk, medicine and hospital etc. services.

All employees of the Pratishthan must be available on Phone and through other electronic mode of communication for any emergency.

Encl. As above

Date-22-3-2020

SECRETRY, MSRVVP

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला उज्जैन(म.प्र.)

क्रमांक– 1060 / ए.डी.एम. / रीडर–1 / 2020 उज्जैन, दिनांकः 22 / 03 / 2020

:: आदेश ::

विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त जानकारी के अनुसार जबलपुर में कोरोना के 04 प्रकरण पॉजिटिव्ह मिले हैं, इसी प्रकार देश के अन्य स्थानों में करोना वायरस के संदिग्ध व्यक्तियों के होने की सूचनाएं प्राप्त होती रहती हैं। उज्जैन धार्मिक नगरी हैं एवं श्री महाकालेश्वर भगवान के दर्शन हेतु म.प्र. एवं देश– विदेश के अनेक स्थानों से जिले में प्रतिदिन बड़ी भारी संख्या में लोग उज्जैन आना–जाना करते हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के दृष्टिकोण से **मैं डॉ. आर.पी.तिवारी, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी उज्जैन** एतद् द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता–1973 की धारा– 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये सम्पूर्ण उज्जैन जिले की समस्त राजस्व सीमाओं में आगामी आदेश तक निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करता हूँ :–

1– जिले में तत्काल प्रभाव से लॉक डाउन घोषित किया जाता हैं। लॉक डाउन की स्थिति में कण्डिका 5 में उल्लेखित प्रतिष्ठानों में अतिआवश्यक होने पर कोई व्यक्ति अल्प समय के लिये जा सकेगा। इसके अतिरिक्त किसी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी।

2– जिले की सभी सीमाएं सील की जाती है, किसी भी माध्यम–सड़क एवं रेल से जिले की सीमा में बाहरी वाहनों तथा अन्य राज्य व जिले से प्रवेश–आगमन प्रतिबंधित किया जाता हैं।

3– जिले में निवासरत नागरिकों का जिले की सीमा के बाहर जाना तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाता हैं।

4– जिले के समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय कार्यालय बंद किये जाते हैं। अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग यथा राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, दूरसंचार, नगरपालिका, पंचायत आदि इससे मुक्त रहेगें।

5– मेडिकल दुकान, खाद्य सामग्री अर्थात ग्रोसरी आयटम, फल, सब्जी और हॉस्पीटल्स तथा सभी बैंकों के एटीएम से कैश प्रतिपुर्ति की सेवा के अलावा शेष समस्त व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद किये जाते हैं।

उक्त प्रतिबंध निम्नलिखित परिस्थितियों में शिथिल रहेंगे :–

1– उपरोक्त प्रतिबंध इमरजेंसी ड्यूटी वाले शासकीय कर्मचारियों के केवल ड्यूटी के प्रयोजन से अपने कार्यस्थल जाने एवं कार्य करने की अवधि में लागू नहीं होगें। सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों को अपने साथ वैध परिचय पत्र रखना अनिवार्य होगा।

2– घर–घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज पेपर हॉकर प्रातः 06:30 बजे से 09:30 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।

अतः यह आदेश दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(1) के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया जाता है। कोई भी व्यक्ति इस संबंध में अपनी आपत्ति/आवेदन दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 144 (5) के अंतर्गत प्रस्तुत कर सकता है।

इस आदेश का निर्वहन सामान्य जन एवं संबंधितों को व्यक्तिशः कराया जाना संभव नहीं है। ऐसी स्थिती में दण्ड प्रकिया संहिता की धारा–134(2) के अन्तर्गत जन सम्पर्क विभाग को निर्देशित किया जाता है कि आदेश का समाचार के रूप में समाचार पत्रों मे तथा रेडियो एंव दूरदर्शन पर जनसामान्य/संबंधितों को उक्त आदेश से अवगत कराया जावे। संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी भी इस आदेश से सामान्य जन एवं संबंधितों को अवगत करावें।

इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। यह **आदेश आज दिनांक 22.03.2020 से 25.03.2020 रात्रि 12:00 बजे तक प्रभावशील रहेगा।** यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से **आज दिनांक 22.03.2020** को जारी किया गया।

(कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी महोदय द्वारा अनुमोदित)

22/03/2020

(डॉ. आर.पी.तिवारी)
अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
जिला उज्जैन

D2c&data@santosh

Scanned by CamScanner

पृ.क्रमांक– 1060/ए.डी.एम./रीडर–1/2020
प्रतिलिपि–

उज्जैन, दिनांक: 22/03/2020

1. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन गृह (सी) विभाग भोपाल।
2. आयुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन।
3. पुलिस महानिरीक्षक, उज्जैन झोन उज्जैन।
4. पुलिस उप महानिरीक्षक, उज्जैन रेंज उज्जैन।
5. पुलिस अधीक्षक जिला उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. अपर कलेक्टर जिला उज्जैन।
7. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर/देहात जिला उज्जैन।
8. अनुविभागीय दण्डाधिकारी समस्त जिला उज्जैन।
9. नगर पुलिस अधीक्षक, समस्त जिला उज्जैन।
10. एसडीओपी समस्त जिला उज्जैन।
11. थाना प्रभारी .... समस्त जिला उज्जैन। की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ । उक्त आदेश का विस्तृत प्रचार–प्रसार लाउड स्पीकर से करवाने एवं प्रमुख स्थानों पर चस्पा हेतु अग्रेषित।
12. उप संचालक, जन संपर्क उज्जैन की ओर आदेश का प्रकाशन हेतु अग्रेषित।
13. प्रभारी अधिकारी, पुलिस नियंत्रण कक्ष उज्जैन।

22/03/2020

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
जिला उज्जैन

Scanned by CamScanner